"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261] रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2012—आश्विन 16, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/36/2012/वाक/पांच (50).—केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 13 की उप-धारा (3), (4) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) **प्रारूप-पांच में अनुक्रमांक 17 के पश्चात् निम्नलिखित भाग-क जोड़ा जाय :—**

"भाग-क
अंतर्राज्यीय विक्रय की सूची

क्र.	तिमाही की अवधि	व्यापारी का नाम पता सहित जिसे माल बेचा गया	टिन नंबर	विक्रय किए गए माल का विवरण	मूल्य	'सी' फार्म क्रमांक (यदि विक्रय सी फार्म के विरुद्ध किया गया है)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				योग			

नोट :— 'सी' फार्म संलग्न करें.

(2) प्रारूप-पांच-ख के भाग-ख की सूची **"डी फार्म के विरुद्ध अंतर[illegible] की सूची (त्रैमासिक)" से संबंधित प्रविष्टि** [illegible] किया जाय.

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ-10/36/2012/वाक/पांच (50).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/36/2012/वाक/पांच (50), दिनांक 5-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th October 2012

NOTIFICATION

No. F-10/36/2012/CT/V (50).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3), (4) and (5) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Sales Tax (Central) Rules, 1957, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) In Form-V after Serial No. 17, the following part-A shall be added :—

"PART-A

List of Inter-state sales

S. No.	Period of quarter	Name of dealers with Address to whom goods sold	TIN No.	Description of goods sold	Value	'C' Form No. (If sold against 'C' form)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Total			

Note :— Enclose 'C' Form.

(2) In part-B of Form-V-B, for the relating entry of list "List of Inter-state sales against 'D' form (Quarterly)" shall be omitted.

2. This amendment shall come into effect from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/37/2012/वाक/पांच (51).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उपधारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वर्ष के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधान एवं नियमों के क्रियान्वयन से अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करती है, यथा :—

अनुसूची

अ. क्र.	व्यापारियों का वर्ग	वर्ष	प्रावधान/नियम जिनसे छूट दी गई	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में वर्णित वस्तु में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 40 लाख से अधिक, किन्तु रु. 10 करोड़ से कम है.	वित्तीय वर्ष 2008-09	धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ग), धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20 (2) (क) तथा धारा 41 की उपधारा (2).	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्धारित प्रारूप-18 इलेक्ट्रानिक पद्धति से एवं इसके अनुसार देयकर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान कर चुका है तथा ऐसे पत्रक के साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44(AB) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली आडिट रिपोर्ट की प्रति दिनांक 31-12-2012 तक प्रस्तुत कर देता है.
2.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में वर्णित वस्तु में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 10 करोड़ या इससे अधिक है.	वित्तीय वर्ष 2008-09	धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20 (2) (क).	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्धारित प्रारूप-18 इलेक्ट्रानिक पद्धति से एवं इसके अनुसार देयकर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान कर चुका है तथा ऐसे पत्रक के साथ छ.ग. मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) में निर्धारित प्रारूप-50 में आडिट रिपोर्ट दिनांक 31-12-2012 तक प्रस्तुत कर देता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ-10/37/2012/वाक/पांच (51).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/37/2012/वाक/पांच (51), दिनांक 05-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th October 2012

NOTIFICATION

No. F-10/37/2012/CT/V (51).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts, the class of dealer as specified in column (2) of the Schedule below, for the year as specified in column (3), from provisions of the act and rules as specified in column (4), subject to the restrictions and conditions specified in column (5) of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Class of dealers	Year	Section/rule from which exemption granted	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registered dealers, under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover exceed Rs. 40 lac but less than Rs. 10 crore, except dealer who deals in goods specified in S. No. 5 of part-III of Schedule-II.	Financial year 2008-09	Clause (c) of sub-section (1) of section 19, Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and rule 20 (2) (a) and sub-section (2) of section 41.	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause (b) of sub-section (1) of section 19 and file such form electronically upto 31-12-2012 along with audit report required under section 44(AB) of Income Tax Act, 1961.
2.	Registered dealers, under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover is Rs. 10 crore or more, except dealer who deals in goods specified in S. No. 5 of part-III of Schedule-II.	Financial year 2008-09	Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and rule 20 (2) (a).	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause (b) of sub-section (1) of section 19 and file such form electronically upto 31-12-2012 along with audit report in Form-50 prescribed in sub-rule (1) of rule 53 of Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/38/2012/वाक/पांच (52).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976

में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

संशोधन

उक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप-सात में अ.क्र. 13 के पश्चात् निम्नलिखित भाग-क जोड़ा जाय :—

"भाग-क

घोषणा पत्र पर प्रवेश कर से छूट प्राप्त माल के विक्रय की सूची

क्र. (1)	व्यापारी का नाम पता सहित जिसे माल विक्रय किया गया (2)	टिन नंबर (3)	विक्रय किये गए माल का विवरण (4)	विक्रय राशि (5)	टिप्पणी (6)
			योग		

टीप :— घोषणा पत्र संलग्न करें.

प्रवेश कर की रियायती दर से घोषणा पत्र पर माल के विक्रय की सूची

क्र. (1)	व्यापारी का नाम पता सहित जिसे माल विक्रय किया गया (2)	टिन नंबर (3)	विक्रय किये गए माल का विवरण (4)	कर की दर (5)	विक्रय राशि (6)	टिप्पणी (7)
				योग		

टीप :— घोषणा पत्र संलग्न करें."

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ-10/38/2012/वाक/पांच (52).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/38/2012/वाक/पांच (52), दिनांक 05-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th October 2012

NOTIFICATION

No. F-10/38/2012/CT/V (52).—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, after S. No. 13 of prescribed Form-7, the following part-A shall be added :—

"PART-A

List of sales of goods exempted from entry tax against declaration

S. No. (1)	Name of dealer with Address to whom goods have been sold (2)	TIN No. (3)	Description of goods sold (4)	Amount of sale (5)	Remarks (6)
			Total		

Note :— Enclose declaration forms.

List of sales of goods on declaration for concessional rate of entry tax

S. No. (1)	Name of dealer with Address to whom goods have been sold (2)	TIN No. (3)	Description of goods sold (4)	Rate of tax (5)	Amount of sale (6)	Remarks (7)
				Total		

Note :— Enclose declaration forms."

2. This amendment shall be effect from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/37/2012/वाक/पांच (53).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की

धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10/25/2012/वाक/पांच (31) दिनांक 19-06-2012 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/25/2012/वाक/पांच (32) दिनांक 19-06-2012 में अंक "30-09-2012" के स्थान पर अंक "31-12-2012" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ-10/37/2012/वाक/पांच (53).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/37/2012/वाक/पांच (53), दिनांक 05-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th October 2012

NOTIFICATION

No. F-10/37/2012/CT/V (53).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby makes the following amendment :—

AMENDMENT

In Notification No. F-10/25/2012/CT/V (31) dated 19-06-2012, and Notification No. F-10/25/2012/CT/V (32) dated 19-06-2012, for the figure "30-09-2012" the figure "31-12-2012" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.